अध्याय

6

जॉब कार्डों का पंजीकरण एवं जारी करना

6.1 प्रस्तावना

योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा उसके सौ दिनों के रोजगार पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का पहला कदम ग्राम पंचायत के साथ उसका पंजीकरण है। अधिनियम की अधिसूची II के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह उपयुक्त जांच करने के पश्चात वह परिवारों का पंजीकरण करें तथा जॉब कार्ड जारी करें। पंजीकरण हेतु व्यक्ति द्वारा एक सादे कागज पर ग्रा.पं. को आवेदन किया जा सकता है या वह व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर मौखिक रूप से आग्रह भी कर सकता है। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2)। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि लाभार्थियों को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किए जाएं। पंजीकरण प्रक्रियाएं, जॉब कार्ड का जारी करना तथा रोजगार आबंटन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को **चार्ट-9** में वर्णित किया गया है।

चार्ट-9: पंजीकरण प्रक्रिया, जॉब कार्ड एवं रोजगार आबंटन

पंजीकरण प्रक्रियाएं	■ ग्रा.प. द्वारा इच्छित व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण संचालित किया जाना ■ ग्रा.प. कार्यालय पर आवेदन द्वारा भी व्यक्ति/परिवार पंजीकरण करवा सकते हैं ■ सभी आवेदन पत्र की जांच 15 दिनों के भीतर की जानी होती है ■ प्रत्येक परिवार हेतु अनन्य पंजीकरण संख्या
जॉब कार्ड	■ आवेदन के 15 दिनों के भीतर ■ व्यस्क सदस्यों की फोटो ■ परिवार के पास हो ■ पांच वर्षों हेतु मान्य ■ जोड़ने एवं घटाने का प्रावधान ■ स्थानीय समुदाय/ग्राम सभा की उपस्थिति में, जारी करना, जोड़ना/घटाना किया जाना चाहिए
रोजगार आबंटन गतिविधियां	■ कार्य हेतु आवेदन ग्रा.प. कार्यालय, कार्यस्थल या का.आ. को दिया जा सकता है ■ प्रत्येक आवेदन के लिए दिनांकित प्राप्ति दी जानी होती है ■ आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना होता है अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देना होता है ■ का.आ. यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है कि प्रत्येक आवेदन को रोजगार प्राप्त हो रहा है

6.2 परिवार सर्वेक्षण

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2.5 अनुबंधित करता है कि अधिनियम के अंतर्गत अपने आपको पंजीकृत कराने हेतु इच्छुक व्यक्तियों की घर-घर सर्वेक्षण द्वारा पहचान की जानी चाहिए। वार्ड सदस्यों, अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिलाओं, ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत के

प्रधान की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा सर्वेक्षण संचालित किया जाना चाहिए। टीम के सदस्यों को ब्लॉक/जिला स्तर पर अभिविन्यास से अवगत करवाया जाना चाहिए।

6.2.1 घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 राज्यों अर्थात, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू, एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में सात जिलों के गांवों में तथा 1479 ग्रा.पं. (3848 नमूना जांच की गई ग्रा.पं. का 38.43 प्रतिशत) में पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा **अनुच्छेद-6क** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण की आवश्यकता कार्यक्रम के आरम्भिक वर्षों के दौरान थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विभिन्न राज्य-सरकारों ने पंजीकरण हेतु अन्य तरीके जैसे कि हैल्पलाइन, इन्फोकियोस्क, डाक घर, विद्यालय तथा आंगनवाडी केन्द्र इत्यादि से आवेदन का आरम्भ किया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के आरम्भिक चरणों में ग्राम पंचायतों ने एक बड़ी प्रतिशतता में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का संचालन नहीं करवाया था। घर-घर जाकर सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई संभावित लाभार्थी बचा न रह जाए तथा लाभार्थियों के अधिकारों के व्यापक संप्रेषण हेतु महत्वपूर्ण है।

6.2.2 पंजीकरण सूची का अद्यतन/प्रदर्शित न करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि पंजीकरण सूची को योग्य कामगारों को शामिल कर तथा मृत्यु, प्रवास, सरकारी नौकरी की प्राप्ति आदि के कारण अयोग्य कामगारों को घटा कर, प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाए। दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षित है कि अयोग्य पंजीकृत परिवार को सार्वजनिक तौर पर रद्द किया जाए तथा ग्राम सभा में भी घोषित किया जाए। **(पैरा 5.2.12 तथा 5.3.5)**।

तीन राज्यों अर्थात नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 219 ग्रा.पं. (नमूना जाँच किए गए सभी ग्रा.पं. का 5.69 प्रतिशत) में सूची को अद्यतन नहीं किया गया था। असम, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (सात राज्य) में तीन ब्लॉकों छः जिलों तथा 763 ग्रा.पं. में (सभी नमूना जांच की ग्रा.पं. का 19.82 प्रतिशत) इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। पंजीकरण सूची को सार्वजनिक न करने की प्रथा असम, ओडिशा, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैली थी। ब्यौरा **अनुबंध-6ख** में दर्शाया गया है।

6.3 जॉब कार्ड जारी करना

परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि उचित जांच के उपरांत ग्राम पंचायतों को पंजीकृत लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी करने चाहिए। पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किए जाने थे (पैरा 5.3.2)। व्यस्क सदस्यों के फोटोग्राफ जॉब कार्ड पर चिपकाए जाने थे (पैरा 5.3.3)। इसके अतिरिक्त, जॉब कार्ड में परिवार के सभी व्यस्कों, जो कार्य करने के इच्छुक हैं, के पंजीकरण संख्या, आयु तथा लिंग के विवरण सहित सूचनाएं समाविष्ट की जानी थी जॉब कार्ड उस व्यक्ति की अभिरक्षा में होना चाहिए जिसे यह जारी किया गया है (पैरा 5.3.4) पारदर्शिता एवं मजदूरों को धोखा-धड़ी से बचाने को सुनिश्चित करने हेतु अच्छी रूप-रेखा वाले जॉब कार्डों का समय से जारी करना आवश्यक है (पैर 5.3.1)। जॉब कार्डों की वेद्यता पांच वर्ष की थी तथा आवश्यकता अनुसार उनका अद्यतन करना था। इस संबंध में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

6.3.1 जॉब कार्डों का जारी नहीं करना

नमूना जांच की गई इकाईयों में से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों (छः राज्य) में छः ग्रा.पं., सात ब्लॉकों तथा 11 जिलों में 12,455 पंजीकृत परिवारों के संबंध में जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। विवरण तालिका-11 में दिया गया है। जॉब कार्ड की अनुपस्थिति में लाभार्थी 100 दिनों के रोजगार के अपने मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकेगा।

तालिका-11 जॉब कार्ड जारी न करना

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉकों/जिलों की संख्या	पंजीकृत परिवारों की सं.	जारी किए गए रोजगार कार्डों की सं.	जारी न किए गए रोजगार कार्डों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	आन्ध्र प्रदेश	6 ग्रा.पं.	--	--	183	183 जॉब कार्डों को जारी किए जाने हेतु कोई अभिलेख लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किए गए
2	कर्नाटक	8 जिले	14,21,470	14,17,340	4,130	2007-12 के दौरान जारी नहीं किए गए।
3	मणिपुर	1 जिला (पूर्वी इम्फाल)	75,574	70,656	4,918	2009-12 के दौरान जारी नहीं किए गए।
4	ओडिशा	6 ब्लॉक	--	--	1,915	एक वर्ष से चार वर्षों से लम्बित
5	पंजाब	01 जिला	--	--	11	एक वर्ष से दो वर्षों से लम्बित
6	उत्तर प्रदेश	01 जिला 01 ब्लॉक	1,05,369 12,062	1,05,318 10,815	51 1,247	-- --
कुल					12,455	

* मॉ.सू.प्र. के अनुसार आंकड़े

मामला अध्ययनः- परिवारों का गैर-पृथकीकरण

आन्ध्र प्रदेशः

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.1.3 अनुबंधित करता है कि 'परिवार' से तात्पर्य एक एकल परिवार से है, जिसमें माता, पिता तथा उनके बच्चे तथा परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से भरपूर या आश्रित कोई व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।

तथापि, तीन चयनित जिलों (रंगारेड्डी, नालगोंडा तथा विजियनगरम) के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण ने 20 या अधिक सदस्यों वाले 58 परिवारों तथा 10 से 19 सदस्यों वाले 1,962 परिवारों को उजागर किया। स्पष्ट रूप से, इन मामलों में, परिवारों को एकल परिवारों में उपयुक्त रूप से पृथक नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रति 'परिवार' के कम से कम 100 दिनों के रोजगार के उनके सांविधिक वार्षिक अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

6.3.2 अनेक जॉब कार्ड

चार राज्यों में पाया गया कि एक व्यक्ति के नाम पर कई जॉब कार्ड जारी किए गए थे। बिहार, झारखण्ड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 109 ग्रा.पं. तथा एक जिले में 18,325 मामलों में अनेक जॉब कार्डों का जारी करना देखा गया था। बिहार में एक ही व्यक्ति को तीन या चार जॉब कार्ड जारी करने के उदाहरण भी पाए गए थे। विवरण **अनुबंध-6ग** में दिया गया है। यह मामले निधियों के दुरूपयोग की गंभीर संभावना को को सलाह देते हैं तथा इनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मामला अध्ययन: जॉब कार्डो का संभव दुरूपयोग

असम:

जॉब कार्डों के किसी दुरूपयोग से बचाने के लिए दिशानिर्देश अनुबंधित करते है कि जॉब कार्ड केवल लाभार्थी की अभिरक्षा में ही होने चाहिए। तीन ग्रा.पं. के अभिलेखों में 428 जॉब कार्डों को परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति अर्थात संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्यों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया था। ऐसे मामलों में जॉब कार्डों के दुरूपयोग की संभावना से बचा नहीं जा सकता।

6.3.3 जॉब कार्डों को जारी करने में विलम्ब

जॉब कार्ड पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने होते हैं। यह लाभार्थी द्वारा समय से रोजगार की मांग करने तथा प्राप्त करने को सुनिश्चत करने हेतु आवश्यक है। नमूना जांच की गई इकाईयों में से असम, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश (सात राज्यों) में 28 ग्रा.पं. एक ब्लॉक तथा चार जिलों में 2 से 51 महीनों की देरी से जॉब कार्डों के जारी करने के 12008 मामले पाए गए थे। राज्य वार ब्यौरा **अनुबंध-6 घ** में दिया गया है।

6.3.4 जॉब कार्डों में अन्य असंगतियां

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान (सात राज्यों) में 143 ग्रा.पं. तथा 19 जिलों में 4.33 लाख जॉब कार्डों पर आवेदकों के फोटो नहीं चिपकाए गए थे। इसमें से महाराष्ट्र के मामले में अधिक विलम्ब पाए गए थे जहाँ 3.83 लाख जॉब कार्ड फोटो रहित थे। अरूणाचल प्रदेश, असम, तथा मणिपुर (तीन राज्यों) में एक ग्रा.पं. तथा पांच जिलों में परिवार के व्यस्क सदस्यों के संयुक्त फोटोग्राफ 391 जॉब कार्डों पर नहीं चिपकाए गए थे। इसके अतिरिक्त बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा दादर एवं नागर हवेली (चार राज्य और सं.शा.क्षे.) में 125 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में 8717 मामलों में जॉब कार्ड पंजिकाओं पर आवेदक के फोटों नहीं चिपकाए गए थे। मामलों का विवरण **अनुबंध-6 ङ** में दिया गया है।

39,359 मामलों में, बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान (तीन राज्यों) में 59 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में जॉब कार्डों की पंजीकरण संख्या/जारी करने की तिथि नहीं दी गई थी। अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (छः राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में 190 ग्रा.पं. तथा चार जिलों में 22,302 जॉब कार्डों के संबंध में परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। इनके अतिरिक्त, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (चार राज्यऔर एक सं.शा.क्षे.) में 137 ग्रा.पं. तथा 17 जिलों में नमूना जांच की गई इकाईयों में से 5002 मामलों में जॉब कार्ड जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे। इन मामलों का विवरण **अनुबंध-6 ङ** में दिया गया है।

असम में एक ग्रा.पं. में 840 मामलों में जॉब कार्ड परिवार की अभिरक्षा में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बिहार में 13 जिलों में अन्य अभिलेखों में किए गए भुगतान की प्रविष्टि 523 मामलों में जॉब कार्ड में की गई प्रविष्टि से मेल नहीं खाती थी इन मामलों का ब्यौरा **अनुबंध-6ङ** में दिया गया है।

जॉब कार्ड एक मूल दस्तावेज है जिसे लाभार्थी अधिनियम के अंतर्गत काम पाने के अधिकार को लागू कराने के लिए प्रयोग कर सकता है। तथापि, जॉब कार्डों तथा उनकी अभिरक्षा से संबंधित बड़े पैमाने पर तथा निरन्तर कमियां जागरूकता तथा सरकारी उदासीनता को दशाती है जिसने योजना कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि जॉब कार्डों के जारी करने/जारी न करने तथा जॉब कार्डों पर आवेदकों के फोटो चिपकाने से संबंधित मामलों की समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समितियों (नि.स.स.) बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य की यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए गए विशिष्ट मामलों के लिए राज्य सरकारों को लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गये थे।

6.4 जॉब कार्ड एवं रोजगार से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1 (iv) अनुबंधित करता है कि ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जॉब कार्ड आवेदन पंजिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। पंजिका में आवेदक का नाम, आवेदन प्राप्त करने की तिथि तथा जारी जॉब कार्ड के विवरण प्रदान किए जाने थे। इसमें जॉब कार्ड जारी नहीं किए जाने के कारणों को भी दर्ज किया जाना था।

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा जिन्हें जॉब कार्ड जारी किया गया है, उनका ब्यौरा जाब कार्ड पंजिका में दिया जाना है जिसे ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाना होता है। (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1(iv))।

इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 5.2.10 अनुबंधित करता है कि आगे की योजना तैयार करने, नजर रखने तथा अभिलेखन हेतु अंतरिम पंचायत तथा जिला पंचायत को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से पंजीकरण की प्रतियों को कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जानी होती है। इसे तुरन्त किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम अधिकारी के पास मांग होने की अवस्था में उसे संसाधनों को मांग के अनुसार प्रबंधन हेतु समेकित अभिलेख उपलब्ध हों।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादर एवं नागर हवेली (15 राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में 1,374 ग्रा.पं. (नमूना जांच किए गए सभी ग्रा.पं. का 35.71 प्रतिशत) तथा 94 ब्लॉकों में जॉब कार्ड रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश, असम, विहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादर एवं नागर हवेली (20 राज्य और एक सं.शा.क्षे.) में नमूना जांच की गई इकाईयों में से 1,769 ग्रा.पं. (नमूना जांच किये गये सभी ग्रा.पं. का 45.97 प्रतिशत) तथा 204 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं/किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था।

इन पंजिकाओं के अभाव में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि सभी लाभार्थी जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर पाए थे तथा समय से उन्हें कार्ड जारी किए गए। ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल (तीन राज्य) में 442 ग्रा.पं. में जॉब कार्ड पंजीकरण सूची को का.अ. को भी नहीं भेजा गया था। इन परिस्थितियों में का.अ. पंजीकरण प्रक्रिया का उपयुक्त ढ़ंग से मॉनीटरिंग करने में सक्षम नहीं होगा। ब्यौरा **अनुबंध-6 च** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि यह नियमित रूप से निष्पादन समीक्षा समिति (नि.स.स.) बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य की यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ अभिलेखों के अनुरक्षण की समीक्षा की थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए विशिष्ट मामलों के लिए राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

6.5 रोजगार गारंटी दिवस

परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि प्रत्यके ग्राम पंचायत में कार्य हेतु आवेदन पत्रों के तथा सूचना को उजागर करना कार्य आबंटन, मजदूरी का भुगतान तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए सप्ताह के एक विशेष दिन को ('रोजगार गारंटी दिवस' या 'रोजगार दिवस') के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए (परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 12.2.1) रोजगार गारंटी दिवस की कार्यविधि सूचना को उजागर करने हेतु प्रर्याप्त प्रावधान के साथ खुली आम जगह पर की जानी चाहिए।

नमूना जांच की गई इकाईयों में से अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप (सात राज्य और एक स.शा.क्षे.) में 798 ग्रा.पं. (नमूना जांच की गई सभी ग्रा.प. का 20.74 प्रतिशत) तथा ग्यारह जिलों में सप्ताह के एक विशेष दिन को रोजगार गारंटी दिवस के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था, जैसा कि मनरेगस परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में दिया गया था। ब्यौरा **अनुबंध-6 छ** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि यह राज्य सरकारों से रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन करने हेतु नियमित रूप से आग्रह करती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि में कैम्प लगाकर कार्य आवेदन पत्रों के संसाधन करने के लिए इसी प्रकार के आयोजन किए गए थे।

6.6 राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां

पंजीकरण तथा जॉब कार्ड जारी करने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/ अनियमितताओं का राज्यवार सारांश नीचे दिया गया है:

- **अरूणाचल प्रदेश:**
  - चयनित जिलों में पाँच सौ बीस नमूना जॉब कार्डों ने उजागर किया कि अव्यस्क सदस्यों अर्थात 18 वर्ष से नीचे, के पंजीकरण के 10 मामले, रोजगार अभिलेख पृष्ठ में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जॉब-कार्ड के 15 मामले, आवेदकों के सात मामलों से जॉब कार्ड से नाम गायब थे यद्यपि मॉ.सू.प्र. पर नामों को डाला गया था।
  - जॉब कार्ड पंजीकरण हेतु किसी मौखिक आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया था।

■ **असम:**

- दो ग्रा.पं. (अचालपारा तथा बारका सतगांव) में 623 (90+533) जॉब कार्ड जारी करने के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- चिरांग जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक में दो मामलों में, दो विभिन्न व्यक्तियों को एक ही नम्बर के जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
- एक परिवार को गांव के नामों को अलग दर्शाते हुए दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
- बेरोजगार ब्लॉक के अंतर्गत दो ग्रा.पं. में, चार मामलों में एक ही परिवार के पति-पत्नी को अलग-अलग जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

■ **हिमाचल प्रदेश:**

- मनरेगस के अन्तर्गत 511 मामलों में 11 ग्रा.पं. द्वारा अव्यस्क लाभार्थियों अर्थात 18 वर्ष से कम का नामांकन/पंजीकरण किया गया था।

■ **झारखण्ड:**

- पाकुड़ जिले के सीतापहाड़ी ग्रा.पं. में, एक ही व्यक्ति का नाम 18 जॉब कार्डों पर या तो परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्य के रूप में पाया गया था।
- दुमका जिले की रामपुर पंचायत में एक व्यक्ति (परिवार का मुखिया) को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे तथा दोनो जॉब कार्डों पर मजदूरी अर्जित की गई थी तथ डाकघर के एक ही खाते में जमा की गई थी।
- पश्चिम सिंधभूम जिले की अरसन्द्रे ग्रा.पं. में, तीन मामलों में एक परिवार को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे तथा दोनों ही जॉब कार्डों पर मजदूरी अर्जित की गई थी और एक ही खाते में जमा की गई थी।

■ **कर्नाटक:**

- मॉ.सू.प्र. के अनुसार 2009-12 के दौरान नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में 262 व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी तथा 344 व्यक्ति जो 90 वर्ष के या उससे अधिक के थे, को कार्य पर लगाया गया था तथा क्रमशः ₹ 3.62 लाख तथा ₹ 3.65 लाख का उन्हें भुगतान किया गया था।
- आठ नमूना जिलों के मॉ.सू.प्र. डाटा ने दर्शाया कि 62.81 लाख पंजीकृत व्यक्तियों में से 19.67 लाख व्यक्तियों को हटाने हेतु चिन्हित किया गया था तथा इन मामलों के 93 प्रतिशत में हटाने हेतु कारण 'अन्य' दर्शाया गया था। हटाने हेतु सही कारण के अभाव में इन कार्डों के धोखे से जारी करने की संभावना का निर्धारण नहीं किया जा सका। इनको हटाने हेतु चिन्हित किए जाने से पूर्व 2008-09 से 2011-12 के दौरान इन व्यक्तियों को ₹156.10 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।
- पहचान के बाद व्यक्तियों को हटाने हेतु चिन्हित करने में भी विलम्ब था। विलम्ब की अवधि के दौरान, 5622 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया तथा ₹50.55 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया।अन्य 204 व्यक्तियों को भी चिन्हित करने के उपरांत काम पर लगाया गया था उन्हें ₹1.55 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया।

- मॉ.सू.प्र. के अनुसार, आठ नमूना जिलों में हटाने हेतु चिन्हित किए गए परिवारों को 14,574 मामलों में जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

मामला अध्ययन : कर्नाटक में हटाए गए जॉब कार्डों पर अनियमित भुगतान

मॉ.सू.प्र. डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2008-12 के दौरान, गलत प्रविष्टियों के आधार पर आठ नमूना जिलों में 92,889 जॉब कार्डों तथा 2,32,636 व्यक्तियों को स्थायी रूप से हटाया जा चुका था। तथापि, मॉ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा के अनुसार, हटाने की तिथि तक, स्थायी रूप से हटाए गए कार्डों के संबंध में ₹ 5.27 करोड़ तथा हटाए गए व्यक्तियों के संबंध में ₹ 0.22 करोड़ का वितरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों को जिन्हें स्थायी रूप से हटाया गया था। उन्हें बाद में 2008-12 के द्वारा विभिन्न कार्यों पर लगाया गया था तथा ₹ 3.42 करोड़ की कुल राशि का उन्हें भुगतान भी किया गया था।

■ **केरल:**

- मालापपुरम के तीन ग्रा.पं.[1] में 87 जॉब कार्डों को जारी किया गया दर्शाया गया था किन्तु लाभार्थियों को सौंपा नहीं गया था।

■ **ओडिशा:**

- केन्द्रापारा जिले के एक ब्लॉक में सभी ग.रे.नी. परिवारों को एक ही दिन में पंजीकृत किया गया था अर्थात 24 जनवरी 2008 को। राज्य सरकार द्वारा सभी ग.रे.नी. परिवारों के पंजीकरण हेतु निर्देश मार्च 2006 में जारी किए गए थे। अनिच्छुक परिवारों अथवा परिवार जिन्हें रोजगार की आवश्यकता नहीं है के पंजीकरण की सभावना को निर्धारित नहीं किया जा सका।

■ **पुडुचेरी:**

- समीक्षा की अवधि के दौरान कुल 842 जॉब कार्ड धारकों की मृत्यु हो जाने को सूचित किया गया था जबकि संबंधित ब्लॉकों द्वारा ऐसे पंजीकरण परिवारों को हटाने हेतु सत्यापन की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

[1] मूरकानन्द नॅदैइरन्प्प, कीझान्तुर